न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
52/2020	26.11.2020	31-10-25

हजारी पुत्र गंगाधर, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।

-- वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र गोरधन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
2. मुरारी पुत्र गोरधन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
3. गोरन्ती बेवा राजाराम गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
4. आशीष पुत्र राजाराम, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा नावालिग जरिए संरक्षक माता गोरन्ती।
5. अंकित पुत्र राजाराम, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा नावालिग जरिए संरक्षक माता गोरन्ती।
6. छुट्टन पुत्र मनफूल, गुर्जर निवासी टोटोलाई तहसील तलावडा।
7. भरोसी पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
8. भरतू पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
9. मीठा पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
10. राधाकिशन पुत्र सुआ, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
11. गिरधारी पुत्र सुआ, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
12. घसीडा पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
13. श्रीनारायण पुत्र श्रीया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
14. दयाराम पुत्र गौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
15. अर्जुन पुत्र सुगन्या, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
16. सेडू पुत्र नहन्या, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
18. सरूप पुत्र नहन्या, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
19. काडू पुत्र नहन्या, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
20. हरकेश पुत्र सुरजन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
21. रामनरी पुत्री सुरजन पत्नि रामू उर्फ रामकेश नि०कडीपट्टी तह. तलावडा।
22. सीमा नवासी सुरजन नावालिग संरक्षक पिता छुट्टन पुत्र मूडया, गुर्जर निवासी विलोली तहसील मलारनाडूंगर।
23. सुनीता नवासी सुरजन नावालिग संरक्षक पिता छुट्टन पुत्र मूडया, गुर्जर निवासी विलोली तहसील मलारना डूंगर।
24. हीरो बेवा बदरी, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
25. श्यामलाल पुत्र बदरी, गुर्जर निवासी टाँटोलाई तहसील तलावडा।
26. धापो बेवा भजन, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तहसील तलावडा।
27. कैलाशी पत्नि वीरवल, गुर्जर निवासी कढूली तहसील खण्डार।
28. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा।
29. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी।
30. शाखा प्रबन्धक, इलहाबाद बैंक , शाखा गंगापुर सिटी।

--प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]	छोटेलाल — [illegible]	
T.L		
[illegible]	[illegible] — [illegible]	[illegible]

(2)

दावा विभाजन भूमि एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 19 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम टोटोलाई तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 67 रकबा 2.12 हैक्टर, 68 रकबा 2.30 हैक्टर, 221 रकबा 0.40 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 27 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसे सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार शामलाती काश्त कर भूमि की फसल से लाभान्वित होते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22, 23 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 24, 25 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 27 का 1/16 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी अनुसार पक्षकार भूमि व उसकी फसल से लाभन्वित होते आ रहे हैं। प्रतिवादी सख्या 18 ने अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या 29 के यहां रहन रखी हुई है। प्रतिवादी संख्या 27 ने अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या 30 के यहां रहन रखी हुई है। कुछ समय से पक्षकारो मे भूमि को लेकर मनमुटाव रहने लग गया है। वादी ने दिनांक 23 11.2015 को भूमि का विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गए और कहा हम कहीं नहीं जायेंगे अगर तुम्हें जाना हो तो जाओ, हम शामलाती की भूमि को शामलाती में ही बेचेंगे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 67 रकबा 2.12 हैक्टर, 68 रकबा 2.30 हैक्टर, 221 रकबा 0.40 हैक्टर ग्राम टोंटोलाई का मीट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के 1/8 हिस्से का खाता पृथक से कायम किया जावे। आवश्यकता हो तो पृथक से खसरा नम्बर कायम किए जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके कब्जे काश्त, खातेदारी व हिस्से की भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करातें। बिना विभाजन भूमि को रहन वय नहीं करें व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट उपस्थित हुए। दिनांक 19.07.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 19 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि ख०नं० 67 68 व 221 शामलाती है। इस भूमि का पक्षकारों के मध्य 50 साल से ज्यादा समय पहले बुजुर्गो के समय से ही बंटवारा हो रहा है एवं उसी अनुसार राब अपने अपने हिस्सों पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 19 काडू का विवादित भूमि ने 1/18 हिस्सा है जो सडक के समानान्तर है जिसमें प्रतिवादी का पानी का बोर कटा हुआ है व उसके नाम विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। ख0नं0 67 में एक जगह आबादी छुट्टन पुत्र मनफूल वगैरा की है, दूसरी जगह धसीडा , श्रीनारायण पुत्रान श्रीया वगैरा की आबादी पक्का मकान है। ख0नं0 68 में प्रतिवादी काडू के पीछे धप्पो बेवा भजन का पानी का बोर व बिजली कनेक्शन, आबादी है। ख0नं0 221 में कैलाशी पत्नि बीरवल का पुख्ता मकान व हैण्डपम्प है। वादी ने इन तथ्यों को छिपाया है। प्रतिवादी ने कभी विभाजन से इन्कार नहीं किया है बल्कि

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(3)

यह कहा है कि उसके हिस्से में पुराना मकान, पानी का बोर विद्युत कनेक्शन, बुजुर्गों के समय से मौखिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्से में है जिसे वादी के हिस्से में ही रखा जावे। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि मौके पर स्थित मकान, विद्युत कनेक्शन, बोर व मौके के कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्रस से भूमि का विभाजन किया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, नकल नक्शा ट्रेस पेश की है।

जवाब दावे के समर्थन में प्रतिवादी नं0 19 ने नकल नक्शा ट्रेस, असल विद्युत बिल माह नवम्बर 2015, माह जनवरी 2016, नकल जमाबंदी सं० 2072 से 2075, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2070–2071 पेश किए है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादीगण का दावा तहसीलदार से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार गंगपुर सिटी से दिनांक 22.06.2016 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जिस पर वादी वकील द्वारा आपत्ति पेश की गई। पेश आपत्ति पर बहस सुनी जाकर तहसीलदार तलावडा को पुनः विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम निम्न प्रकार प्राप्त हुई–

(1.) हजारी पुत्र गंगाधर ख0नं0 221/1 रकवा 0.05 है0, 67/1 रकवा 0.2650, 68/1 रकवा 0.2795 किता 3 कुल रकवा 0.5945 हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार।

(2.) नाबालिग अंकित पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 2/189 , अर्जुन पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , नाबालिग अशीष पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 2/189 , कल्लो पुत्री घसीडा हिस्सा 1/105 , काडू पुत्र नहन्या हिस्सा 4/63 , किशनलाल पुत्र गोरधन हिस्सा 2/63 , गिरधारी पुत्र सुआ हिस्सा 1/21 , गीता पत्नि घसीडा हिस्सा 1/105 , गौरन्ती पत्नि राजाराम हिस्सा 2/189 , छुट्टनलाल पुत्र मनफूल हिस्सा 4/63 (रहन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक अमरगढ चौकी), तेजा पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , दयाराम पुत्र गोरया हिस्सा 2/21 , धापो पत्नि भजन हिस्सा 1/14 , धोडी पुत्री घसीडा हिस्सा 1/105 , भरतू पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , भरोसी पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , मुरारी पुत्र गोरधन हिस्सा 2/63 , मीठा पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , मोत्या पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/14 सा0 देह खातेदार महुखुर्द तह0 गंगापुर सिटी, रूपसिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/63, राधाकिशन पुत्र सुआ हिस्सा 1/21, रामनरी पुत्री सुरजन हिस्सा 1/63 , नाबालिग लालाराम पुत्र घसीडा संरक्षक माता सीता हिस्सा 1/105 , विजय सिंह पुत्र घसीडा हिस्सा 1/105 , श्यामलाल पुत्र बदरी हिस्सा 2/21 , श्रीनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा 1/21 , नाबालिग सुनिता पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/126 सा0 बीलोली तह0 बौंली , सुरज्या पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , सरूप पुत्र नहन्या हिस्सा 2/63 रहन एसबीआई गंगापुर सिटी , नाबालिग सीमा पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/126 सा0 बिलाली तह0 बौंली, हनुमान सिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/63 , हरकेश पुत्र सुरजन हिस्सा 2/63 रहन पी0एन0बी0 बैंक मिर्जापुर , ख0नं0 221/2 रकवा 0.35 है0 , ख0नं0 67/2 रकवा 1.8550 है0 , ख0नं0 68/2 रकवा 1.9565 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 4.1615 है0 का सा0देह खातेदार ।

(3.) ख0सं0 68 रकवा 2.30 है0 में से उ0द0 दिशा में एक सडक प्रचलित है जो शमलाती दर्ज होगी जो अवतक संयुक्त खातेदारो की खातेदारी में दर्ज है जो निम्न प्रकार है। नाबालिक अंकित पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 1/108 , अर्जुन पुत्र सुगन हिस्सा /36 , नाबालिग अशीष पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 1/108 , कल्लो पुत्री घसीडा हिस्सा 1/120 , काडू पुत्र नहन्या हिस्सा 1/18 , किशनलाल पुत्र गोरधन हिस्सा 1/36 , गिरधारी पुत्र सुआ हिस्सा 1/24 , गीता पत्नि घसीडा हिस्सा 1/120 , गौरन्ती पत्नि राजाराम हिस्सा 1/108 , छुट्टनलाल पुत्र मनफूल हिस्सा 1/18 (रहन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक अमरगढ चौकी), तेजा पुत्र सुगन हिस्सा 1/36 , दयाराम पुत्र गोरया हिस्सा 1/12 , धापो पत्नि भजन हिस्सा 1/16 , घोडी पुत्री घसीडा हिस्सा 1/120 , भरतू पुत्र रामधन हिस्सा 1/108 , भरोसी पुत्र रामधन हिस्सा 1/108 , मुरारी पुत्र गोरधन हिस्सा 1/36 , मीठा पुत्र रामधन हिस्सा 1/108 , मोत्या पत्नि

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मोहनलाल हिस्सा 1/16 सा0 देह खातेदार महुखुर्द तह0 गंगापुर सिटी, रूपसिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/72, राधाकिशन पुत्र सुआ हिस्सा 1/24, रामनरी पुत्री सुरजन हिस्सा 1/72 , नाबालिग लालाराम पुत्र घसीडा संरक्षक माता सीता हिस्सा 1/120 , विजय सिंह पुत्र घसीडा हिस्सा 1/120 , श्यामलाल पुत्र बदरी हिस्सा 1/12 , श्रीनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा 1/24 , नाबालिग सुनिता पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/144 सा0 बीलोली तह0 बौंली , सुरज्या पुत्र सुगन हिस्सा 1/36 , सरूप पुत्र नहन्या हिस्सा 1/36 रहन एसबीआई गंगापुर सिटी, नाबालिग सीमा पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/144 सा0 बिलाली तह0 बौंली, हजारी पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/8 , हनुमान सिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/72 , हरकेश पुत्र सुरजन हिस्सा 1/36 ख0नं0 68/3 रकवा 0.0640 है0 का सा0 देह खातेदार।

बहस वकील वादी विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया ।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूकिं दावा भूमि विभाजन का है। एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन कराये जाने पर सहमत है। इसलिए वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि **(1.) ख0नं0 221/1 रकवा 0.05 है0, 67/1 रकवा 0.2650, 68/1 रकवा 0.2795 किता 3 कुल रकवा 0.5945 है0** हिस्सा पूर्ण का सा0 देह हजारी पुत्र गंगाधर के नाम दर्ज की जावे।

(2.) ख0नं0 221/2 रकवा 0.35 है0 , ख0नं0 67/2 रकवा 1.8550 है0 , ख0नं0 68/2 रकवा 1. 9565 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 4.1615 है0 का सा0 खातेदार नाबालिग अंकित पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौंरन्ती हिस्सा 2/189 , अर्जुन पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , नाबालिग अशीष पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 2/189 , कल्लो पुत्री घसीडा हिस्सा 1/105 , काडू पुत्र नहन्या हिस्सा 4/63 , किशनलाल पुत्र गोरधन हिस्सा 2/63 , गिरधारी पुत्र सुआ हिस्सा 1/21 , गीता पत्नि घसीडा हिस्सा 1/105 , गौरन्ती पत्नि राजाराम हिस्सा 2/189 , छुट्टनलाल पुत्र मनफूल हिस्सा 4/63 (रहन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक अमरगढ चौकी), तेजा पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , दयाराम पुत्र गोरया हिस्सा 2/21 , धापो पत्नि भजन हिस्सा 1/14 , धोडी पुत्री घसीडा हिस्सा 1/105 , भरतू पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , भरोसी पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , मुरारी पुत्र गोरधन हिस्सा 2/63 , मीठा पुत्र रामधन हिस्सा 2/189 , मोल्या पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/14 सा0 देह खातेदार महुखुर्द तह0 गंगापुर सिटी, रूपसिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/63, राधाकिशन पुत्र सुआ हिस्सा 1/21, रामनरी पुत्री सुरजन हिस्सा 1/63 , नाबालिग लालाराम पुत्र घसीडा संरक्षक माता सीता हिस्सा 1/105 , विजय सिंह पुत्र घसीडा हिस्सा 1/105 , श्यामलाल पुत्र बदरी हिस्सा 2/21 , श्रीनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा 1/21 , नाबालिग सुनिता पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/126 सा0 बीलोली तह0 बौंली , सुरज्या पुत्र सुगन हिस्सा 2/63 , सरूप पुत्र नहन्या हिस्सा 2/63 (रहन एसबीआई गंगापुर सिटी) ,नाबालिग सीमा पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/126 सा0 बिलाली तह0 बौंली, हनुमान सिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/63 , हरकेश पुत्र सुरजन हिस्सा 2/63 (रहन पी0एन0बी0 बैंक मिर्जापुर) के नाम दर्ज की जावे।

(3.) ख0नं0 68/3 रकवा 0.0640 है0 का सा0 देह खातेदार नाबालिक अंकित पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौंरन्ती हिस्सा 1/108 , अर्जुन पुत्र सुगन हिस्सा /36 , नाबालिग अशीष पुत्र राजाराम संरक्षक माता गौरन्ती हिस्सा 1/108 ,कल्लो पुत्री घसीडा हिस्सा 1/120 ,काडू पुत्र नहन्या हिस्सा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

1/18, किशनलाल पुत्र गोरधन हिस्सा 1/36, गिरधारी पुत्र सुआ हिस्सा 1/24, गीता पत्नि घसीडा हिस्सा 1/120, गौरन्ती पत्नि राजाराम हिस्सा 1/108, छुट्टनलाल पुत्र मनफूल हिस्सा 1/18 (रहन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक अमरगढ चौकी), तेजा पुत्र सुगन हिस्सा 1/36, दयाराम पुत्र गोरया हिस्सा 1/12, धापो पत्नि भजन हिस्सा 1/16, घोडी पुत्री घसीडा हिस्सा 1/120, भरतू पुत्र रामधन हिस्सा 1/108, भरोसी पुत्र रामधन हिस्सा 1/108, मुरारी पुत्र गोरधन हिस्सा 1/36, मीठा पुत्र रामधन हिस्सा 1/108, मोत्या पत्नि मोहनलाल हिस्सा 1/16 सा0 देह खातेदार महुखुर्द तह0 गंगापुर सिटी, रूपसिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/72, राधाकिशन पुत्र सुआ हिस्सा 1/24, रामनरी पुत्री सुरजन हिस्सा 1/72, नाबालिग लालाराम पुत्र घसीडा संरक्षक माता सीता हिस्सा 1/120, विजय सिंह पुत्र घसीडा हिस्सा 1/120, श्यामलाल पुत्र बदरी हिस्सा 1/12, श्रीनारायण पुत्र श्रीया हिस्सा 1/24, नाबालिग सुनिता पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/144 सा0 बीलोली तह0 बौंली, सुरज्या पुत्र सुगन हिस्सा 1/36, सरूप पुत्र नहन्या हिस्सा 1/36 रहन एसबीआई गंगापुर सिटी, नाबालिग सीमा पुत्री छुट्टन संरक्षक पिता छुट्टन हिस्सा 1/144 सा0 बिलाली तह0 बौंली, हजारी पुत्र गंगाधर हिस्सा 1/8, हनुमान सिंह पुत्र सेडू हिस्सा 1/72, हरकेश पुत्र सुरजन हिस्सा 1/36 के नाम दर्ज किया जावे। एवं इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी